खण्ड–20, अंक–2
गुरूवार, 01 अग्रहायण, शक संवत्, 1929
(22 नवम्बर, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 20 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत उठाए जाने का प्रयास...	1–5
प्रश्नोत्तर	5–23
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत उठाए जाने का पुनः प्रयास	23–25
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	25
राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	26–28
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	28–29
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	29
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ...	30–31
वित्तीय वर्ष (2007–2008) का अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण ...	31
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	32

क

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—मि0 कैरेन हिल्टन
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह
10—श्री खजान दास
11—श्री खड़क सिंह बोहरा
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश जोशी
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोपाल सिंह रावत
16—श्री गोविन्द लाल
17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19—श्री चन्दन राम दास
20—श्री जोगा राम टम्टा
21—श्री जोत सिंह गुनसोला
22—हाजी तस्लीम अहमद
23—श्री तिलक राज बेहड़
24—श्री दिनेश अग्रवाल
25—श्री दिवाकर भट्ट
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—काजी मौ0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35—श्री बलवीर सिंह नेगी
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री बृज मोहन कोटवाल
38—मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
39—श्री मदन कौशिक
40—श्री मनोज तिवारी
41—श्री मयूख सिंह
42—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
43—श्री मातबर सिंह कण्डारी
44—श्री मुन्ना सिंह चौहान
45—श्री यशपाल आर्य
46—श्री यशपाल बेनाम
47—चौ0 यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत रावत
49—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
50—श्री राजकुमार
51—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
53—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55—श्रीमती वीना महराना
56—श्री शहजाद
57—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेश चन्द जैन
62—डा0 हरक सिंह रावत
63—श्री हरिदास
64—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्यगण तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य ''वेल'' में आकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। जो भी बात कहनी हो अपने स्थान पर जाकर कहें। माननीय यशपाल जी, आप स्वयं भी पीठ को सुशोभित कर चुके हैं। कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें।

(घोर व्यवधान)

(''वेल'' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप पीठ को कहने का समय ही नहीं दे रहे हैं। प्रश्न काल होने दीजिए। आप लोग एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए कि प्रश्न काल होगा ही नहीं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग आसन ग्रहण करें। जब तक आप लोग आसन ग्रहण नहीं करेंगे आपकी बात नहीं सुनी जायेगी। प्रश्न काल का समय जाया न करें। अपकी कोई बात अंकित नहीं की जायेगी।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य ''वेल'' में आकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय ''वेल'' में आकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। जब तक आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा पीठ से निर्देश देने के बावजूद भी विपक्ष आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। यह तो पीठ की अवमानना है। (व्यवधान)

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, प्रदेश की चुनी हुई संस्थाओं जैसे–सहकारी संस्थाओं, त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नगर निकायों में राजनैतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक अत्यन्त चिन्तनीय विषय है। मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायतों, स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों के परिसीमन की कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इस सरकार द्वारा जनहित की उपेक्षा की जा रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर सदन में चर्चा करा ली जाय। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग दें तथा सभी माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठने को कहें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित हो जायेगा। आप इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा लें। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डा0 हरक सिंह रावत, माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी मामनीय सदस्यगण ''वेल'' में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी बातें कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक इनकी बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप अपना विनिश्चय दे दें तो सदन व्यवस्थित हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सदन किसी की सम्पत्ति नहीं है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं तभी हम कोई निर्णय लेने में समर्थ होंगे। जब तक आप लोग अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तब तक आपकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें। सदन में चर्चा होगी, बिल्कुल होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ... ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, डा0 हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्रीमती अमृता रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री प्रीतम सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राजेश जुवांठा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री मनोज तिवारी जी, श्री केदार सिंह रावत की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश की चुनी हुई संस्थाओं जैसे पंचायत, नगर निकाय तथा सहकारिता में परिसीमन के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध में आज विधेयक पर विचार होना है।

माननीय सदस्य उस समय अपनी बात रख सकते हैं। नगर निकायों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम संशोधन अध्यादेश पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य इसके अननुमोदन का संकल्प तत्समय रख सकते हैं तथा इसका प्रतिस्थानी विधेयक सदन में आयेगा उस पर विचार के समय अपनी बात रख सकते हैं। मैं इस सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद, श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की है। जो उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास प्रमाण–पत्र व जाति प्रमाण–पत्र के बारे में है। मैं कल कह चुका हूँ आप मेरी बात से सहमत नहीं हुए। मैं तो आप लोगों को कल भी सुनने को तैयार था और सुनना भी चाहता था, लेकिन सदन में व्यवधान के कारण बात नहीं सुनी जा सकी। इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाने की बात कही थी। मैं इसे नियम–310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

तीसरी सूचना मा0 सदस्य श्री नारायण पाल की है, जो राज्य में सर्किल रेट की बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में है। मेरा मा0 सदस्य से अनुरोध है कि वे अपनी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत उठायें।

इसके अतिरिक्त नियम–310 के अन्तर्गत मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना प्राप्त हुई, जो गन्ना चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह इस सूचना को कल नियम–58 में दे दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य ''वेल'' में आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को पूर्वाह्न 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन मध्याह्न 12:00 (बारह) बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 12:10 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ष, 2006 में हरिद्वार में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पेयजल योजनाएं

**1–श्री गोपाल सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या वर्ष, 2006 में हरिद्वार (उत्तराखण्ड) आगमन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड के लिए तीन महत्वाकांक्षी पेयजल योजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पेयजल योजनाएं कौन–2 सी हैं, और योजनावार उनके लिए धन का प्रावधान क्या है ?

उक्त पेयजल योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी हाँ। 05 पम्पिंग पेयजल योजनाओं की घोषणा की गई थी।

घोषित 05 पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	धनराशि का प्रावधान (रु0 करोड़ में)
1.	दौडम ग्राम समूह पे0यो0, जनपद अल्मोड़ा	4.22
2.	सरयू बेलख ग्रा0स0पे0यो0, जनपद अल्मोड़ा	21.44
3.	घन्टाकरण ग्रा0स0पे0यो0, जनपद टिहरी	34.38
4.	डाण्डा नागराजा ग्रा0स0पे0यो0, जनपद पौड़ी	26.35
5.	मुण्डेश्वर ग्रा0स0पे0यो0, जनपद पौड़ी	13.60
	योग	99.99

भारत सरकार से योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति/धनावंटन अप्राप्त है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा नत्थी "क" अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के लिए श्री गोपाल सिंह राणा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए।)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये तथा नारे लगाने लगे।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय पेयजल मंत्री द्वारा अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पढ़े जाने पर श्री गोपाल सिंह राणा "वेल" में आ गये और नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मंत्री श्री मातबर सिंह कण्डारी अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर पढ़ते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक नई परम्परा हो जायेगी कि सदन व्यवस्थित नहीं है और सदन की कार्यवाही चल रही है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री यशपाल आर्य एवं श्री प्रीतम सिंह को छोड़कर सभी माननीय सदस्य भी "वेल" में आ गये तथा नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

जिला पंचायत हरिद्वार को 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की लम्बित किश्तें

**2–कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जिला पंचायत को 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त की वर्तमान तक मात्र एक ही किश्त क्यों जारी की गई है ?

क्या यह सत्य है कि अब तक 12वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की 3–3 किश्त जारी की जा चुकी है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त के कारण जनपद हरिद्वार के विकास कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त लम्बित किश्त अविलम्ब जारी करने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मा0 मुख्यमंत्री (मेजर जनरल (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0)–

सभी जिला पंचायतों को 12वाँ वित्त आयोग की एक छमाही किश्त तथा राज्य वित्त आयोग की दो त्रैमासिक किश्तें जारी की गई हैं।

जी नहीं।

12वें वित्त आयोग की संस्तुति पर अनुदान की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दूसरी किश्त गत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हाने पर ही अवमुक्त की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं से 2006–07 में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा अनुदान की दूसरी किश्त अभी जारी नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग की तीसरी त्रैमासिक किश्त जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 पर माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम़ पुकारे जाने पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

उत्तराखण्ड के जनपदों में कृषि योग्य भूमि में उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की नीति

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री जी अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में कृषि योग्य भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है ?

क्या यह सत्य है कि पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने हेतु कोई ठोस नीति बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रदेश की कृषि नीति–2001 में एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत नीति निर्धारित है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

1–प्रदेश की मृदाओं में फास्फोरस एवं सूक्ष्म तत्वों की प्रायः कमी है अतः उनकी कमी को दूर करने के लिए अकार्बनिक उर्वरकों के साथ समुचित विधि से तैयार किये गये कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

2–एकीकृत पादप पोषण द्वारा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पी0एस0एम0 (फास्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रोब्स) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

3–धान के लिए नत्रजन उपलब्धता बढ़ाने के लिए अजोला एवं दलहनी फसलों में नत्रजन उपलब्धता बढ़ाने के लिए राइजोवियम का उपयोग बढ़ाया जायेगा।

प्रदेश में कृषकों को विभिन्न गोष्ठियों, कृषकों प्रशिक्षणों एवं साहित्य के माध्यम से मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विभागीय योजनाओं से 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्व जैव उर्वरक, हरी खाद प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषकों द्वारा अपनाये

गये फसल चक्रों में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के समावेश हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन (आई0पी0एन0एम0) सम्बन्धित प्रदर्शन आयोजित कराये जा रहे हैं।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नत्थी "ख" तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला एवं कनालीछीना क्षेत्रों में कैरोसिन की आपूर्ति में कमी

*3–श्री मयूख सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमावर्ती विकास खण्ड धारचूला एवं कनालीछीना क्षेत्रों की कैरोसिन की आपूर्ति निर्धारित कोटे से कम की जा रही है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र गैस सुविधा से भी वंचित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र हेतु कैरोसिन का कोटा बढ़ायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नत्थी "ख" तारांकित प्रश्न संख्या–3 पर माननीय सदस्य श्री मयूख महर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

उत्तराखण्ड राज्य गठनोपरान्त भूमि की पैमाईश

*4–श्री गणेश जोशी–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि राजस्व विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में वर्ष, 1960 ई0 में भूमि की पैमाईश तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई थी ?

यदि हाँ, तो उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद भूमि की पैमाईश कराई जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

वर्तमान में उत्तराखण्ड में भूमि की पैमाईश का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नत्थी "ख" तारांकित प्रश्न संख्या–4 पर माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–4

(माननीय राजस्व मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर पढ़ा गया, लेकिन सदन में घोर व्यवधान होने के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

प्रदेश में, वर्ष 2007–08 में धान/चावल खरीद का निर्धारित लक्ष्य तथा खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु प्रयास

*5–श्री नारायण पाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 में धान/चावल खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत प्रदेश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री दिवाकर भट्ट–

खरीफ–खरीद सत्र 2007–08 हेतु राज्य में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50,000 (पचास हजार) मी0टन धान खरीद का लक्ष्य एवं लेवी योजनान्तर्गत राज्य के राईस मिलर्स से 3,00000 (तीन लाख) मी0टन लेवी चावल खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद हेतु कुमायूँ सम्भाग में 43 एवं गढ़वाल संभाग में 10, इस प्रकार कुल 53 क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने व धान के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति विषयक शासनादेश दिनांक 28–9–07 एवं लेवी चावल की खरीद सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 31–10–07 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस आपूर्ति का संकट

*6–श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में एल0पी0जी0 गैस आपूर्ति का संकट है।

यदि हाँ, तो गैस आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

कतिपय जनपदों में गैस आपूर्ति में आंशिक कमी अनुभव की गई, किन्तु संकट जैसी स्थिति नहीं बनने दी गई। तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की गई। घरेलू गैस की व्यावसायिक कार्यों हेतु डाईवर्जन को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य के अनुरूप दैवीय आपदा प्रबन्धन हेतु निर्धारित नीति

*7–श्री प्रीतम सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवीय आपदा प्रबन्धन हेतु नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार द्वारा राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप इनमें कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु पृथक नीति का निर्धारण नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया जा चुका है व शीघ्र ही इसका परिपालन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप उक्त नीति में यथा आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों का सम्पादन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों व मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

प्रदेश में भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्ययोजना

*8—श्री प्रीतम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त में भूमाफिया सक्रिय हैं ?

क्या भूमि खरीद—फरोख्त के अवैध कारोबार को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी नहीं।

जी हाँ।

सरकार द्वारा भूमि की अनियमित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु पूर्व में जो व्यवस्था की गई थी उसे और अधिक प्रभावी बनाते हुये भूमि के दुरूपयोग पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से दो मुख्य संशोधन जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में किये गये:—

1—ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखण्ड में खातेदार नहीं हैं वे बिना राज्य सरकार की अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय नहीं कर सकते हैं।

2—जिन व्यक्तियों के पक्ष में ले—आउट स्वीकृत था उन्हें स्वीकृत ले—आउट के अन्दर भी 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0वि0, पंतनगर के देहरादून कैम्प कार्यालय में स्वीकृत पद एवं पदनाम

1–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के देहरादून स्थित कैम्प कार्यालय में कितने तथा कौन–कौन से पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी किस पदनाम से कार्य कर रहे हैं ?

क्या विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो किन–किन पदों पर और क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्तमान में देहरादून में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर का कोई कैम्प कार्यालय स्थित नहीं है।

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों पर शिक्षकों से अतिरिक्त रूप से कार्य लिया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों पर शिक्षकों द्वारा उनके मूल दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ क्रमशः कार्यहित में निदेशक प्रशासन, निदेशक अनुश्रवण, निदेशक संचार केन्द्र, मुख्य कार्मिक अधिकारी, संस्थापनाधिकारी, परिसम्पत्ति अधिकारी, परिवहन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी एवं सह निदेशक श्रम कल्याण का कार्य अतिरिक्त रूप से लिया जा रहा है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

2–श्री अनिल नौटियाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन के आदेश सं0 1397/II/XI/06/56(10)/06, दिनांक 22–01–2007 तथा आयुक्त ग्राम्य विकास के आदेश सं0–आर–7640/3708/स्था0/चि0प्र0पू0/2006–07, दिनांक 14–02–2007 के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान न होने के सम्बन्ध में दिनांक 17–08–2007 का मेरा पत्र सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृत धनराशि के भुगतान में देरी के क्या कारण हैं तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

जी हाँ।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि रु0 1.50 लाख होने तथा देय धनराशि जनपदों को आवंटित धनराशि से अधिक होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में प्राविधानित अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान दिनांक 19–11–2007 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने हेतु प्रस्ताव

3–श्री मयूख सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पंचायत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार इन कर्मियों को कब तक राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला पंचायतें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं अतः इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को राज्य कर्मी घोषित किया जाना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

बी0डी0सी0 की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति की अनिवार्यता

4–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा बी0डी0सी0 (ब्लॉक डेवलपमैन्ट कमेटी) की बैठकों में अधिकारियों को उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि अधिकारीगण बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बी0डी0सी0 की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु कोई कदम उठा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

शासन स्तर से पूर्व में ही समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों को क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्यता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

5–श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रथम सोमवार के अता0 69 में स्थानान्तरित।

अंशदान पेंशन पर गो0ब0पं0कृ0 एवं प्रौ0वि0वि0 पंतनगर को प्रेषित पत्र पर हुई कार्यवाही

6–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन गोविन्द बल्लम पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के पत्रांक यू0ए0/एम0/पी0सी0/3990, दिनांक 15–2–2006 तथा सी0ओ0एम0/पी0सी0/4402, दिनांक 02–11–2006 तथा सी0ओ0एम0/पी0सी0/सी0पी0एस0/4650, दिनांक 31–07–2007 सचिव, कृषि को प्राप्त हुये हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

गोविन्द बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25–10–2005, जो कि अंशदान पेंशन योजना से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर दिशा निर्देश मांगे गये थे, जिसके सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार में ग्राम सभाओं की श्रेणी–6 की भूमि पर अवैध कब्जे

7–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में श्रेणी–6 की कितनी भूमि ग्राम सभाओं की है ?

क्या ग्राम सभाओं की भूमि पर अवैध कब्जे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

मिलान खसरे के आधार पर जनपद हरिद्वार में वर्ग–6 की 13877 है0 भूमि ग्राम समाज की है।

लगभग 24.2353 है0 भूमि पर अवैध कब्जा है।

ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु तहसीलदार, हरिद्वार, रुड़की एवं लक्सर के न्यायालय में 122 बी के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी, तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत सिम्मलचौड़ में राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का विवरण

8–श्री गणेश जोशी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार की पट्टी–सुखरौं के ग्राम–सिम्मलचौड़ में कुल कितने हैक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज है एवं इनमें से कितने हैक्टेयर भूमि किसानों के नाम भूमिधरी भूमि के रूप में दर्ज है ? इसका रकबा (क्षेत्रफल) कुल कितने हैक्टेयर है ? सरकारी भूमि केसर हिन्द भूमि कितने हैक्टेयर है ?

क्या सरकार उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य करना चाहती है ?

क्या यह भी सत्य है कि मा0 राजस्व मंत्री जी के आदेश के बाद राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर भू–माफियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो कितने लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

अभिलेखों के अनुरूप ग्राम सिम्मलचौड़, तहसील–कोटद्वार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 49.161 वर्ग हैक्टेयर है। इसमें से 30.906 हैक्टेयर भूमि कास्तकारों के नाम दर्ज है तथा 18.255 हैक्टेयर भूमि सरकारी/केसर हिन्द दर्ज है।

जी हाँ।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में कुल 65 अवैध अध्यासियों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि अधिनियम के अधीन पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं 60 के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत कनालीछीना व देवलथल उप तहसील का एकीकरण

9—श्री मयूख सिंह—

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड कनालीछीना में दो उप तहसील क्रमशः देवलथल तथा कनालीछीना में खोली गयी थी ?

क्या यह सत्य है कि क्षेत्रवासियों की सहमति से दोनों उप तहसीलों को एकीकृत कर एक तहसील कापड़ीगांव में खोलने की सैद्धान्तिक सहति तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दी जा चुकी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ।

तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इन उप तहसीलों को एकीकृत किये जाने की घोषणा की गई थी।

वर्तमान में कनालीछीना व देवलथल दोनों उप तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। दोनों उप तहसीलों में अधिकारी व कर्मचारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अतः अब दोनों उप तहसीलों के एकीकरण पर विधिवत औचित्य स्थापित होने व कठिनाईयों आदि का परीक्षण कर ही कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

10—कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''—

द्वितीय सोमवार के अता0 25 में स्थानान्तरित।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार अन्तर्गत पुलिण्डा ग्राम में भूस्खलन रोकने व पुनर्वास की योजना

11—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार विधान सभा के पुलिण्डा गांव भूस्खलन की भारी चपेट में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भूस्खलन रोकने तथा ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट—

जी हाँ। जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत ग्राम पुलिण्डा में वर्ष 1995—96 से लगातार भूस्खलन हो रहा है।

जी हाँ, ग्राम पुलिण्डा के विस्थापन के सम्बन्ध में भू—वैज्ञानिक टास्क फोर्स पौड़ी के माध्यम से दिनांक 19—5—1996 को भू—गर्भीय सर्वेक्षण कराया गया। ग्राम पुलिण्डा के

विस्थापन हेतु राजकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण निकटतम पापीडांडा खाम तोक की उपलब्ध वन भूमि में बसाये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार दैवी आपदा के प्रभावितों को अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। स्थायी पुनर्वास हेतु व्यवस्था अनुमन्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भूस्खलन एवं अतिवृष्टि से प्रभावित अत्यधिक संवेदनशील ग्रामों का चिन्हीकरण कर उनको अन्यत्र पुनर्वासित किये जाने हेतु "पुनर्वास नीति" निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें ग्राम पुलिण्डा भी सम्मिलित है। नीति निर्धारण के बाद ही प्रभावित ग्रामों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना सम्भव होगा।

दिनांक 12–08–2007 को यमुनोत्री धाम में अतिवृष्टि से प्रभावितों को राहत व पुनर्वास की योजना

12–श्री केदार सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में दिनांक 12–08–2007 को अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार की ओर से किस अधिकारी/मंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा क्षति का कोई आंकलन किया गया है ? क्या सरकार राहत व पुनर्वास की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

दिनांक 12–08–2007 को अतिवृष्टि के कारण यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से यमुनोत्री मन्दिर के आस पास स्थित सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को क्षति पहुंची है।

अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति का नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी, बड़कोट द्वारा स्थल निरीक्षण कर क्षति का आंकलन किया गया। राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अतिवृष्टि के कारण यमुनोत्री धाम में स्थित आर0सी0सी0 पुलिया, मन्दिर समिति की 06 दुकानें, मकान, यमुनोत्री मन्दिर जाने वाला मार्ग, मन्दिर के नीचे स्थित महिला स्नानागार का प्रतिक्षालय, मन्दिर समिति के सत्संग भवन की दीवार तथा जनरेटर रूम क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त पुलिया के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों को लगभग रु0 23.50 लाख की क्षति हुई है। क्षतिग्रस्त मन्दिर परिसर के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद/मानकों के अनुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि में से अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को रु0 8.18 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है और विभाग द्वारा मन्दिर परिसर का सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यमुनोत्री धाम में क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा गठित आंगणन रु0 58.25 लाख जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा स्वीकृति हेतु शासन में प्राप्त हुआ है, जिसमें परीक्षोपरान्त अपेक्षित स्वीकृत की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

दिनांक 12–08–2007 को अतिवृष्टि से यमुनोत्री मन्दिर को कोई क्षति नहीं पहुंची है। केवल व्यवसायिक भवनों/सार्वजनिक सम्पत्ति एवं मन्दिर समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंची है। ऐसी स्थिति में पुनर्वास की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है और न ही पुनर्वास की आवश्यकता है।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी अन्तर्गत गांवों में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव

13–श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत सोबला, बरम, स्यॉकुरी, गर्बा, जिप्ती, तांकुल विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बसन्तकोट, साईपोलो, क्यूरी जिमिया, बुई, पातो, कुल्लम में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को पुनः स्थापित किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

आपदा राहत निधि से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को अस्थायी आवासीय व्यवस्था अनुमन्य है। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत स्थायी पुनर्वास अनुमन्य नहीं है।

विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम गर्बा तथा विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम कुलथम के पुनर्वास का प्रस्ताव जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है। प्रभावित ग्रामों का जी0एस0आई0 से भू–गर्भीय सर्वेक्षण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जी0एस0आई0 की तकनीकी आख्या के अनुसार ही प्रस्तावित पुनर्वास नीति निर्धारण के उपरान्त संवेदनशील ग्रामों के पुनर्वास हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उत्तराखण्ड राज्य में नये ब्लाकों के निर्माण हेतु नीति

14–श्री राजेश उर्फ राजेश जुंवाठा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तराखण्ड राज्य की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नये ब्लाकों के निर्माण हेतु कोई नीति बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या एम–13018/27/96–आर0डी0, दिनांक 25–7–1997 के द्वारा नये विकास खण्डों के गठन के सम्बन्ध में कोई वित्तीय

सहायता न दिये जाने के कारण वर्तमान में नये विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र में धान व उड़द की फसलों को बचाने के उपाय

15—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में धान एवं उड़द की फसलों पर कीड़ा लगने से कृषकों की फसलें नष्ट हो गई हैं ?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा फसलों को बचाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जी हाँ, कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र में धान की फसल पर पत्तीलपेटक व तना छेदक तथा उड़द की फसल पर कमला कीट का प्रकोप हुआ, जिससे कृषकों की फसलें आंशिक रूप से प्रभावित/क्षतिग्रस्त हुई परन्तु यह क्षति आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रही है।

विभाग द्वारा जनपद में धान की फसल में 222 है0 तथा उड़द में 16 है0 क्षेत्रफल में कीटनाशी रसायनों का छिड़काव कराकर निवारण कार्य सम्पादित कराकर फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाया गया। साथ ही आकाशवाणी एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कीटों की रोकथाम हेतु वैज्ञानिकों द्वारा सलाह भी प्रचारित एवं प्रसारित की गई।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 क्षेत्र धारचूला में बी0पी0एल0 सूची हेतु सर्वे में विसंगति

16—श्री गगन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बी0पी0एल0 सर्वे में हुई विसंगतियों को दूर किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं0 196/2001 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–06 एवं भारत सरकार के अर्द्ध0शा0 पत्र सं0 क्यू0–21022/4/2003 ए0आई0 (आर0डी0), दिनांक 10 अक्टूबर 2006 द्वारा आदेश दिये गये हैं कि बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के समय जो परिवार बी0पी0एल0 सूची में दर्ज होने से रह गये हैं उन परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रक्रिया करायी जायेगी। ऐसे परिवार जो बी0पी0एल0 सर्वेक्षण से छूट गये हैं, की आपत्तियाँ प्राप्त कर सम्बन्धित परगनाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में जाँचोपरान्त पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित किया जायेगा तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके परिवारों को बी0पी0एल0 सूची से हटा दिया जायेगा। प्रथम पुनरीक्षण आगामी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2006–07 में जनपद अल्मोड़ा के ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

17–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006–07 में जनपद अल्मोड़ा के ग्राम्य विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्डवार नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु किन–किन परिवारों को लाभान्वित किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 2006–07 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत किसी भी परिवार को लाभान्वित नहीं किया गया।

यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित थी जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या–पी–12019/1/2004–आर0डी0, दिनांक 31–3–2005 तथा शासन के पत्र संख्या 18/मा0स0/XXVI/2005, दिनांक 12–8–2005 के द्वारा बन्द कर दी गई है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट की ग्राम सभाओं में दिनांक 16–04–07 को ओलावृष्टि से हुई क्षति का मुआवजा

18–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत ग्राम सभा बिन्ता, पारकोट तथा नयाल में दिनांक 16–04–07 को ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से क्षति हुई थी ? यदि हाँ, तो क्षतिपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जनपद अल्मोड़ा के तहसील द्वाराहाट अन्तर्गत दिनांक 16–04–2007 को ग्राम सभा बिन्ता, पारकोट तथा नयाल में ओलावृष्टि एवं अधिक वर्षा से गेहूं, सब्जियों तथा फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पहुंची थी।

आपदा राहत कोष के व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार दैवीय आपदा के फलस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत सहायता अनुमन्य है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपद को अहैतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान मद में आवंटित धनराशि में से कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में उक्त प्रभावित परिवारों को राहत सहायता वितरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

जिला हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र लालढांग अन्तर्गत ग्रामों की चकबंदी की मांग

19–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र–लालढांग, जिला हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर, आदमपुर के किसान तहसील लक्सर के अन्तर्गत ग्राम अकबरपुर ऊद के मौजे फिदायीपुर, ग्राम सुल्तानपुर के मौजे आदमपुर मुबारिकपुर की चकबन्दी कराने की मांग कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांव की चकबन्दी शीघ्र कराने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) पूर्व से ही प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

20–श्री गणेश जोशी–

द्वितीय बुधवार के अता0 14 में स्थानान्तरित।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सदन व्यवस्थित नहीं है और आप लोग प्रश्न काल भी नहीं होने देना चाहते हैं। अतः मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3:00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत उठाये जाने का पुनः प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 310 के अन्तर्गत जो सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित सूचना है उसके लिए आज प्रातः से ही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, उस पर 310 में चर्चा स्वीकार कर ली जाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि यह न्यायालय की बात है, दूसरी तरफ राजनीति विशेष के लाभ के लिए नगर निकायों में परिसीमन अपनी मर्जी से किया जा रहा है। इस पर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना–अपना आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार बैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट का सहारा लेकर सहकारी समितियों का कार्यकाल कम कर रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बैद्यनाथन समिति ने कहा कि तीन साल से कम कार्यकाल होना चाहिए जबकि बैद्यनाथन के बाद कृषि मंत्री शरद यादव जी ने रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनायी जिसमें सभी दलों के मेम्बर थे। उसने 20 अगस्त, 2007 को अपनी रिपोर्ट पार्लियामेन्ट के पटल पर रखी है। उसमें उल्लेख है कि सहकारी समितियों का कार्यकाल 5 साल से कम नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विनिश्चय आ चुका है। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक कोई बात अंकित नहीं होगी।

(नेताप्रति पक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने जवाब में कहा है कि यह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो विधेयक सदन के पटल पर नहीं आना चाहिए। इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है, इससे नौजवान और गरीब जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विनिश्चय आ चुका है, नियम विरुद्ध जो बात कही जायेगी वह संज्ञान में नहीं आयेगी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को पूर्ववत् कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी सरकार द्वारा इस प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल पाँच साल से घटाकर दो साल किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल पाँच साल से घटाकर दो साल किया जा रहा है तो आपके दल द्वारा सदन में इसका विरोध किया जा रहा है। यह कैसा विरोधाभास है ? यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। (शेम–शेम की ध्वनि)

("वेल" में खड़े कई माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सहकारिता के माध्यम से गरीबों की रोजी–रोटी चलती है। यह गरीबों को आत्म निर्भर बनाता है। मान्यवर, आज प्रदेश में 12 में से 10 सहकारी समितियाँ लाभ पर चल रही हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007

स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभापति, लोक लेखा समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–448/XXIV(1)/2006–45/2004, दिनांक 13 जून, 2006 से सभी 13 जनपदों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2006–07 प्रारम्भ करने के लिए जनपदवार कुल 4956 सीटें स्वीकृत की गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए प्रमुख समचार पत्रों में दिनांक 09 जुलाई, 2006 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं।

2–विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से स्नातक तथा एन0सी0टी0ई0 (नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एल0टी0 (लाइसेन्स इन टीचिंग)/बी0एड0 (बेचुलर इन एजुकेशन)/बी0पी0एड0 (बेचुलर इन फिजिकल एजुकेशन)/डी0पी0एड0 (डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन)/सी0पी0एड0 (सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन) (सीपीएड वर्ष 1996–97 से पूर्व)/मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्री की उपाधि संस्थागत छात्र के रूप में प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई।

3–विज्ञापन प्रकाशित होने के तत्काल बाद पत्राचार के माध्यम से कतिपय बी0एड0 उपाधिधारक अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिकायें योजित की गई, जिनपर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये:–

"पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में अन्तिम आदेश पारित होने तक चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाय, किन्तु इन अभ्यर्थियों का चयन मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा।"

4–मा0 उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–884/XXIV(1)/2000–6–45/2004, दिनांक 18 अक्टूबर, 2006

द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 उपाधि प्राप्त की हो, को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये।

5–अभ्यर्थियों के चयन हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत सभी डायट/डी0आर0सी0 द्वारा माह जून–जुलाई, 2007 में मैरिट लिस्ट तैयार की गई, जिसमें पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया गया। किन्तु उनके नाम के आगे "चयन मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन" अंकित किया गया।

6–मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2007 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

7–पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित लगभग 564 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए तैयार की गई मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया गया। किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश के तहत इस प्रकार के सभी अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त घोषित कर दिया गया।

8–मा0 उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर कतिपय पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित की गई। इस विशेष अपील पर सुनवाई के फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20–11–2007 को आदेश पारित किये गये कि इस प्रकरण पर राज्य सरकार पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से प्रभावित हुए बिना स्वतन्त्र रूप से राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए न्यायोचित ढंग से सम्यक विचार कर निर्णय लें तथा लिये गये निर्णय से मा0 उच्च न्यायालय को भी अवगत करायें।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि यद्यपि अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश के समय से ही केवल संस्थागत रूप में बी0एड0 उपाधिधारक अभ्यर्थी ही विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन के लिए पात्र रहे हैं, किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड) में चयन के लिए उत्तर–प्रदेश के समय से ही और उत्तराखण्ड राज्य के बनने के बाद भी प्रशिक्षण योग्यता के अन्तर्गत बी0एड0 उपाधि हेतु संस्थागत/पत्राचार प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्तर नहीं रखा गया है तथा एल0टी0 ग्रेड में नियुक्ति हेतु दोनों माध्यमों से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2006 में प्रख्यापित सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड) सेवा नियमावली में भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विभेद नहीं रखा गया है।

विचारणीय है कि वर्तमान प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 को ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 उपाधि प्राप्त की थी, को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु समान अवसर दिये जाने के दृष्टिकोण से आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, तदुपरान्त ही वर्षवार मेरिट के आधार पर चयन किया गया तथा कुछ पत्राचार बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयनित करके प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु प्रदस्थापना भी कर दी गई।

अतः इस प्रशासनिक समस्या के निराकरण एवं मानवीय आधार को दृष्टिगत रखते हुए केवल इस सत्र अर्थात 2007–08 में जनपदवार आवंटित सीटों के सापेक्ष मेरिट सूची में चयन हेतु स्थान पाने वाले संस्थागत अभ्यर्थियों को प्रभावित किये बिना तथा मेरिट सूची में चयन हेतु स्थान पाने वाले पत्राचार के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाना उचित होगा।

भविष्य में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं चयन के लिए समग्र रूप से विचार–विमर्श के उपरान्त नीति निर्धारित कर निर्णय लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 नवम्बर, 2007 की बैठक में दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

नवम्बर, 2007

22 गुरूवार
(1) अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण। (सायं 04:00 बजे)
(2) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

23 शुक्रवार
(1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
(2) उत्तराखण्ड विनियोग (2007–08) का अनुपूरक विधेयक, 2007 सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
(3) असरकारी दिवस (आधा दिन)

निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा :–

1–श्री खजान दास "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल व जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर, जनपद देहरादून की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।"

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना, माननीय अध्यक्ष द्वारा इस सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कागज फाड़कर फेंके गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री तस्लीम अहमद एवं चौ0 यशवीर सिंह, श्री गगन सिंह रजवार, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

सहकारिता मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2 एवं खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

(विधेयक संख्या ...., वर्ष 2007)

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में अधिनियमित :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 की उपधारा (2), (3) तथा (4) में संशोधन

2. उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 में–

(क) उपधारा (2) में, शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्

''परन्तु किसी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने इस अधिनियम के दिनांक को या उससे पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, तब उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा''।

(ग) उपधारा (3) में क्रमशः शब्द ''चार माह'' एवं ''दो माह'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''दो माह'' तथा ''एक माह'' रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) में शब्द ''चार मास'' के स्थान पर शब्द ''दो माह'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 04.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 4:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठे थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

("वेल" में बैठे सभी माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष (2007–08) का अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण

***मुख्यमंत्री (मेजर जनरल (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0)–**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष (2007–08) का अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी की कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मैं अस्वीकार करता हूँ।

अब हम उठते हैं कल दिनांक 23 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 04 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून
दिनांकः 22 नवम्बर, 2007

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 7 वि0 स0 / 43–25–4–2009–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।